मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र/बी-6/नि/वि.अनु./एनसीसीएफ/683/2760 भोपाल दिनांक 12/05/2023

प्रति,

भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी
संघ मर्यादित (एनसीसीएफ)
42-ए व्यास कॉम्पलेक्स (प्रथम तल)
एम.पी. नगर जोन-।। भोपाल-462011 (म प्र)

विषयः-म प्र कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति मे क्रय केंद्र जोड़े जाने के संबंध में।

संदर्भः-आपका पत्र क्रमांक/भाराउससं/भोपाल/ग्रोसरी/2023-24/20 दिनांक 12/05/2023.

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपको स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति में कृषि उपज मण्डी समिति **जबलपुर, पिपरिया, दमोह, टीकमगढ, नरसिंहपुर, अशोकनगर, विदिशा, गंजबासौदा** एवं **पचोर** मे कृषि उपज का कारोबार किये जाने हेतु अनुमति चाही गई है।

2. पूर्व मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/बी-6/नियमन/वि.अनु./एन.सी.सी.एफ./683/2337 दिनांक 10/02/2023 से कृषि उपज मण्डी समिति जबलपुर, टीकमगढ, दमोह, पिपरिया, गाडरवाड़ा, करेली के लिए विशेष अनुज्ञप्ति एक वर्ष के लिए स्वीकृत की गई है।

3. अतः आपके आवेदन पर विचार किया जाकर उक्त स्वीकृत **विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2023/29 दिनांक 10/02/2023** मे मंडी गाडरवाडा एवं करेली को विलोपित कर, **कृषि उपज मण्डी समिति जबलपुर, पिपरिया, दमोह, टीकमगढ, नरसिंहपुर, अशोकनगर, विदिशा, गंजबासौदा एवं पचोर के क्षेत्रान्तर्गत** अधिसूचित कृषि उपज केवल विनिर्दिष्ट समूह (पांच)-**धान्य तथा दलहन** के व्यवसाय हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। **संशोधित अद्यतन विशेष अनुज्ञप्ति का प्ररूप-3 मे परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।**

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

(गौतम सिंह)
प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D:\niyaman license\LETTER NEW SANDEEP.docx

Mall

क्र/बी-6/नि/वि.अनु./एनसीसीएफ/683/2761 भोपाल दिनांक 12/05/2023

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त/उप संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। **राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एनसीसीएफ) भोपाल** म प्र को म प्र कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, **2009** (यथासंशोधित) के नियम **4, 8, 10** एवं नियम **12** के अधीन **कृषि उपज मण्डी समिति समिति जबलपुर**, पिपरिया, दमोह, **टीकमगढ**, नरसिंहपुर, अशोकनगर, विदिशा, **गंजबासौदा एवं पचोर** मे उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण मे अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।

2. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति..................... जिला...................... (म प्र) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। म प्र कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, **2009** (यथासंशोधित) के नियम **4, 8, 10** एवं **12** के अधीन जारी उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति (जो अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की गई है, की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

3. सहायक संचालक (आईटी), म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी **राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एनसीसीएफ) भोपाल** को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति के संबंध में ई-अनुज्ञा पोर्टल पर उक्तानुसार आवश्यक संशोधन किया जाये।

प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D:\niyaman license\LETTER NEW SANDEEP.docx

परिशिष्ट-अ

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

प्ररूप - तीन

(नियम 8 देखिये)

(एक से अधिक मंडी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2023/29 दिनांक 10/02/2023

(दिनांक 12/05/2023 को यथासंशोधित)

1. श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एनसीसीएफ), पता - 42-ए, व्यास कॉम्पलेक्स (प्रथम तल), एम.पी. नगर, जोन-II, भोपाल-462011 (म.प्र.) को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार हेतु तारीख .... माह.......................... वर्ष 2023 को विशेष अनुज्ञप्ति अनन्तिम रूप से दी जाती है :-

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/ की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	धान्य तथा दलहन	पिपरिया	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति पिपरिया जिला नर्मदापुरम	-	-	श्रीमति अपर्णा सिंह मो.नं-9717531997
2	धान्य तथा दलहन	विदिशा	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति विदिशा जिला विदिशा	-	-	श्री सुबोध कुमार मो.नं-9899239769
3	धान्य तथा दलहन	गंजबासोदा	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति गंजबासोदा जिला विदिशा	-	-	श्री सुबोध कुमार मो.नं-9899239769

4	धान्य तथा दलहन	पचोर	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति पचोर जिला राजगढ	-	-	श्री गजेन्द्र सिंह, मो.नं-9300916039
5	धान्य तथा दलहन	दमोह	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति दमोह जिला दमोह	-	-	श्री सुबोध कुमार मो.नं-9899239769
6	धान्य तथा दलहन	टीकमगढ	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति टीकमगढ जिला टीकमगढ	-	-	श्री सुबोध कुमार मो.नं-9899239769
7	धान्य तथा दलहन	जबलपुर	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर जिला जबलपुर	-	-	श्री सुबोध कुमार मो.नं-9899239769
8	धान्य तथा दलहन	नरसिंहपुर	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर	-	-	श्री सुबोध कुमार मो.नं-9899239769
9	धान्य तथा दलहन	अशोकनगर	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति अशोकनगर जिला अशोकनगर	-	-	श्री सुबोध कुमार मो.नं-9899239769

2 इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष मे समस्त क्रय केन्द्रो मे मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे:

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मेट्रिक टन में) {नियम 4 (2) देखिए}
1	धान्य तथा दलहन	2,000 मेट्रिक टन

3 अनुज्ञप्तिधारी, इस अनंतिम अनुज्ञप्ति के दिये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा:-

1. इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
2. पेयंजल की समुचित व्यवस्था

3. समुचित प्रकाश व्यवस्था
4. पुरूष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
5. शेड की व्यवस्था
6. कृषको के लिये छायादार विश्राम स्थल
7. भुगतान काउन्टर
8. टेक्टर ट्राली की पार्किग की समूचित व्यवस्था
9. नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति
10. प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे स्थापना।
11. क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण।

4 यह विशेष अंनतिम अनुज्ञप्ति दिनांक 10/02/2023 से 09/02/2024 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद की जा सकेगी।

5 यह अंनतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगी:-
(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर, (दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर,
(तीन) मण्डी फीस का अपंवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,
(चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर,
(पॉच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियों प्रस्तुत न करने पर,
(छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,
(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर,

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता
कार्यालय की मोहर

अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी
प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल